न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी–त्रिलोक चन्द मीना आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 26/2019
तारीख दायर : 02.04.2019

अनवान

1. शंकर पिता भागुता जाति गुजर निवासी जाल का खेडा तहसील माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा।

––प्रार्थी

बनाम

1. जेलाल पिता भागूता जाति गुजर निवासी जाल का खेडा तहसील माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा।
2. किशनलाल पिता नाथूलाल जाति गुजर निवासी जाल का खेडा तहसील माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा।
3. कालू पिता देबी जाति गुजर निवासी जाल का खेडा तहसील माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा।
4. हरलाल पिता उगमा जाति गुर्जर निवासी जाल का खोड़ा तहसील माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा।
5. देबी पिता उगमा जाति गुजर निवासी जाल का खेडा तहसील माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा।
6. नाथू पिता उगमा जाति गुजर निवासी जाल का खेडा तहसील माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा।
7. प्रबन्धक आई.सी.आई.सी.आई. बैंक काछोला तहसील माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा।
8. तहसीलदार माण्डलगढ़ तहसील माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा।

अप्रार्थीगण

उपस्थित :–

1. श्री संजय चौहान (अधिवक्ता प्रार्थी)
2. प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।
3. प्रतिवादी संख्या 8 तहसीलदार माण्डलगढ़ की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955

–: निर्णय :–

दिनांक : 27.02.2020

प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि ग्राम जाल का खेड़ा पटवार हल्का राजगढ़ की सरहद में खाता संख्या 109 की आराजी संख्या 260 रकबा 2 बीघा 16 बिस्वा, आराजी संख्या 275 रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा, आराजी संख्या 276 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा, आराजी संख्या 280 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा, आराजी संख्या 362/310 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा कुल किता 5 रकबा 11 बीघा 11 बिस्वा एवं इसी ग्राम में खाता संख्या 110 की आराजी संख्या 273 रकबा 12 बिस्वा, आराजी संख्या 274 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा किता 2 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा भूमि शामलाती खाते एवं कब्जे काश्त में राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कागजात होकर चली आ रही है तथा उक्त आराजी में अन्य सह खातेदारान के हिस्से को खरीद किया है। उक्त विवादग्रस्त भूमि में प्रार्थी के खाते एवं खरीद शुदा बनने वाले हक हिस्से पर बरसों से काबिज होकर निरन्तर शान्तिपूर्वक काश्त करता चला आ रहा हैं, परन्तु उक्त भूमि संयुक्त शामलाती खाते में दर्ज होने की वजह से विपक्षीगण प्रार्थी को आये दिन सीमा विवाद को लेकर व लगान जमा कराने को लेकर विवाद

उत्पन्न करते रहते है तथा प्रार्थी ने दिनांक 05.03.2019 को आपसी सहमति से उक्त भूमि का विभाजन कराने की कहा तो इन्कार हो गये एवं प्रार्थी के कब्जे काश्त में विपक्षीगण दखलन्दाजी कर रहे है, रोक टोक कर रहे है तथा काश्त नहीं करने दे रहे है एवं इनके हक हिस्से की भूमि पर जबरन कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। खातेदार जगरूप बाली व सोनाथ की मृत्यु हो चुकी है। प्रार्थी ने आपसी सहमति एवं रजामन्दी से उक्त भूमि का बटवाड़ा कराने की दिनांक 05.03.2019 को कहा तो विपक्षीगण इन्कार हो गये। प्रार्थी के बनने वाले हक हिस्से में विपक्षीगण कब्जे काश्त में दखलन्दाजी कर रहे है, रोक टोक कर रहे है। काश्त नहीं करने दे रहे है तथा जबरन बेदखल करने पर आमादा है। प्रार्थी के हक हिस्से की भूमि पर जबरन कब्जा करने पर आमादा है एवं प्रार्थी को उसके हक हिस्से की उक्त भूमि को बिना विभाजन करायें खुर्द बुर्द रहन विक्रय करने पर आमादा है। विपक्षीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से रोका जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है अन्यथा प्रार्थी को असहनीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति अर्थ में किया जाना सम्भव नहीं है। वाद कारण दिनांक 05.03.2019 को पैदा होकर सतत् रूप से जारी है। प्रार्थी का प्राईमाफेसी केस होकर सुविधा सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में है और ताईद में शपथपत्र पेश है। अतः निवेदन है कि ग्राम जाल का खेड़ा पटवार हल्का राजगढ़ की सरहद में खाता संख्या 109 की आराजी संख्या 260 रकबा 2 बीघा 16 बिस्वा, आराजी संख्या 275 रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा, आराजी संख्या 276 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा, आराजी संख्या 280 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा, आराजी संख्या 362/310 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा कुल किता 5 रकबा 11 बीघा 11 बिस्वा एवं इसी ग्राम में खाता संख्या 110 की आराजी संख्या 273 रकबा 12 बिस्वा, आराजी संख्या 274 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा किता 2 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा भूमि में प्रार्थी के बनने वाले हक हिस्से की भूमि में विपक्षीगण प्रार्थी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी नही करे, रोक टोक नही करे, प्रार्थी को जबरन बेदखल नहीं करे। उक्त भूमि को बिना विभाजन कराये खुर्द बुर्द रहन विक्रय नहीं करे, न विक्रय पत्र का पंजीयन करावें। इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा विपक्षीगण के विरूद्ध सादिर फरमायी जावें।

बाद जांच प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को नोटिस जरिये सम्मन मय नकल प्रार्थना पत्र भेज करवाई जाकर तलब किया गया। दिनांक 30.09.2019 को अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया गया कि प्रकरण में विपक्षी संख्या 7 प्रबन्धक आई0सी0आई0सी0आई0 बैंक शाखा काछोला को पक्षकार बनाया गया है जबकि इनसे कोई अनुतोष प्राप्त नहीं करना चाहते है। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र को दिनांक 21.10.2019 को अस्वीकार किया गया। दिनांक 18.11.2019 को विपक्षी संख्या 1 लगायत 7 के बावजूद पूर्व सूचना न्यायालय में अनुपस्थित रहने से प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये।

दिनांक 25.02.2020 को पत्रावली बहस हेतु पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया गया कि निवेदन है कि ग्राम जाल का खेड़ा पटवार हल्का राजगढ़ की सरहद में खाता संख्या 109 की आराजी संख्या 260 रकबा 2 बीघा 16 बिस्वा, आराजी संख्या 275 रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा, आराजी संख्या 276 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा, आराजी संख्या 280 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा, आराजी संख्या 362/310 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा कुल किता 5 रकबा 11 बीघा 11 बिस्वा एवं इसी ग्राम में खाता संख्या 110 की आराजी संख्या 273 रकबा 12 बिस्वा, आराजी संख्या 274 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा किता 2 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा भूमि में प्रार्थी के बनने वाले हक हिस्से की भूमि में विपक्षीगण प्रार्थी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी नही करे, रोक टोक नही करे, प्रार्थी को जबरन बेदखल नहीं करे। उक्त भूमि को बिना विभाजन कराये खुर्द बुर्द रहन विक्रय नहीं करे, न विक्रय पत्र का पंजीयन करावें। इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा विपक्षीगण के विरूद्ध सादिर फरमायी जावें।

हमनें अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया। पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी सम्वत् 2072–75 ग्राम जाल का खेडा पटवार मण्डल राजगढ़ तहसील माण्डलगढ़ के खाता संख्या 109 व खाता संख्या 110 का अवलोकन किया। सर्वप्रथम अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु न्यायालय द्वारा विधि के निम्नांकित तीन बिन्दुओं पर विचार किया जाना हैः–

1. प्रार्थी के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु प्रथमदृष्टया मामला।
2. प्रार्थी के पक्ष में सुविधा का सन्तुलन।
3. प्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा के अभाव में अपूर्तनीय क्षति की सम्भावना।

प्रथम बिन्दु के अन्तर्गत यह विचारण किया जाना है कि क्या प्रार्थी के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु प्रथमदृष्टया मामला बनता है। इस सम्बन्ध में बाद अवलोकन यह स्पष्ट है कि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण प्रश्नगत भूमि के संयुक्त रूप से खातेदार है। संयुक्त स्वामित्व की भूमि होने से समस्त खातेदारो का भूमि पर हिस्सेनुसार अधिकार निहित है तथा प्रत्येक सह–खातेदार को अपने हिस्से पर काश्त करने का अधिकार प्राप्त है। यदि कोई खातेदार किसी अन्य सह–खातेदार के काश्त करने के अधिकार में हस्तक्षेप करता है तो वह उस सह–खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है, अतः प्रथमदृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में पाया गया है। दूसरा बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में सुविधा का सन्तुलन से सम्बन्धित है, के सम्बन्ध में न्यायालय का मत यह है कि प्रत्येक सह–खातेदार को अपने हिस्से की भूमि पर काश्त करने का अधिकार होता है। प्रश्नगत प्रकरण में प्रार्थी एक सद्भावी खातेदार काश्तकार है अतः उसे अपनी कृषि भूमि पर काम करने का अधिकार प्राप्त है इसलिए सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में निर्णित किया जाता है। तृतीय बिन्दु के अन्तर्गत यह विचारण किया जाना है कि यदि प्रार्थी के पक्ष में अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की जाती है तो उसे अपूर्तनीय क्षति होगी। यह स्पष्ट है कि यदि अस्थायी निषेधाज्ञा के अभाव में प्रार्थी को विपक्षीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि से बेदखल कर दिया जाता है तो निश्चित रूप से अपूर्तनीय क्षति भी प्रार्थी को ही होने की सम्भावना है। इस प्रकार विधि के उपरोक्त तीनों बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में निर्णित किये जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रथमदृष्टया प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतएव प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को पाबन्द किया जाता है कि मूल वाद के निस्तारण तक ग्राम जाल का खेडा पटवार मण्डल राजगढ़ की सरहद में स्थित खाता संख्या 109 की आराजी संख्या 260 रकबा 2 बीघा 16 बिस्वा, आराजी संख्या 275 रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा, आराजी संख्या 276 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा, आराजी संख्या 280 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा, आराजी संख्या 362/310 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा कुल किता 5 रकबा 11 बीघा 11 बिस्वा एवं खाता संख्या 110 की आराजी संख्या 273 रकबा 12 बिस्वा आराजी संख्या 274 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा किता 2 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा भुमि में प्रार्थी के बनने वाले हक हिस्से की भूमि में प्रार्थी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी नहीं करे, रोक टोक नहीं करे, प्रार्थी को जबरन बेदखल नहीं करे एवं उक्त भूमि को बिना विभाजन कराये खुर्दबूर्द रहन विक्रय नहीं करे न विक्रय पत्र का पंजीयन करावें। अस्थायी निषेधाज्ञा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 27.02.2020 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर कम हो एवं मूल वाद के साथ नत्थी रहे।

(त्रिलोक चन्द मीना)
उपखण्ड अधिकारी
माण्डलगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Trilok Chand Meena
Date: 2020.02.28 18:10:51 IST
Reason: SelfAttested
Location: